राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर करौली

क्रमांक/राजस्व/2021/1932

दिनांकः 01/07/2021

तहसीलदार,
हिण्डौन।

विषयः— सडक निर्माण कार्य सम्पर्क सडक सिलपुरा से पालनपुर अण्डर रूलर रोड सत्र 2013—14 के काम मे आने वाली 1.1790 है0 वन भूमि के बदले गैर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध मे।

प्रसंगः— इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/प.12(3)(6)(32)भू.आ./राजस्व/2021/1474—83 दिनांक 07.06.2021

उपरोक्त प्रासंगिक पत्र द्वारा सम्पर्क सडक कार्य सिलपुरा से पालनपुर अण्डर रूलर सत्र 2013—14 के काम में आने वाली ग्राम कालाखाना तहसील हिण्डौन की वन भूमि ख0नं0 1164 रकबा 68.1300 है0 में से 0.4740 है0 एवं ग्राम पालनपुर तहसील हिण्डौन की भूमि ख0नं0 706 रकबा 75.3200 है0 में से 0.7050 है0 कुल किता—2 कुल रकबा 143.45 है0 में से 1.1790 है0 वन भूमि कि किस्म (संलग्न नक्शानुसार) खारिज कर राजस्थान भू—राजस्व भूमि आवंटन नियम 1963 एवं राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 102 के अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग को आवंटित गई थी तथा उपरोक्त वन भूमि के बदले ग्राम सिलपुरा तहसील करौली की भूमि ख0नं0 301 रकबा 45.04 बीघा किस्म गै0मु0पहाड में से 1.1790 है0 गैर वन भूमि (संलग्न नक्शानुसार) खारिज कर वन विभाग को हस्तांतरण करने के आदेश जारी किये गये थे।

इस सम्बन्ध मे उप वन संरक्षक करौली के पत्रांक/एफ/सर्वे/उवसं/2021/3110 दिनांक 25.06.2021 के अनुसार वन सरंक्षण अधिनियम 1980 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 12.12.1996 के अनुसार पूर्व मे घोषित वन भूमि की किस्म में परिवर्तन नही किया जा सकता है अर्थात प्रत्यावर्तन उपरान्त भी किस्म वन भूमि ही रहेगी।

अतः प्रासंगिक आदेश मे वर्णित वन भूमि की किस्म वन भूमि रखते हुए समतुल्य गैर वन भूमि वन विभाग के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करते हुये पालना से इस कार्यालय को अवगत करावे।

(सिद्धार्थ सिहाग)
जिला कलक्टर
करौली
दिनांक 01/7/2021

क्रमांक/सम/2021/1933-35

प्रतिलिपि :— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. उप वन संरक्षक करौली।
2. अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाषी अभियन्ता सा0नि0 विभाग करौली।
3. तहसीलदार करौली।

जिला कलक्टर
करौली

revenue letter (revenue anubhag)
E-mail : dm-kar-rj@gov.in, adm-kar-rj@gov.in
... 07464 250100/250205 Fax us at: 07464-250281

Scanned with CamScanner